पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-14

दिनांक- 04.01.2026

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को मात्र 18 घंटे में बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.01.2026 को वादी मुकदमा निवासी बिजनौर रोड थाना बिजनौर लखनऊ द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित सूचना दी कि दिनाँक 02/01/2026 को दोपहर लगभग 1:50 बजे प्रार्थी का पुत्र उम्र लगभग 14 वर्ष घर से यह बोलकर निकला था कि वह अपने दोस्त के घर किताब देने जा रहा है लेकिन काफी देर होने के बावजूद घर वापस नहीं लौटा। हम लोगो द्वारा काफी खोजबीन की गयी परन्तु नही मिला।

इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक द्वारा मु0अ0सं0 01/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर चौकी प्रभारी औरंगाबाद उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार को तलाश पतारसी हेतु निर्देशित किया गया जिस पर बिजनौर पुलिस टीम द्वारा परिजनों के साथ तलाश पतारसी करते हुए न्यू गुडौरा, अम्बेडकर पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर व घर से निकलने वाले रास्ते में लगे सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए बस स्टैंड आलम बाग से गुमशुदा नाबालिग बच्चे को मात्र सूचना मिलने के उपरान्त 18 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया।

गुमशुदा बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द किया गया। जिनके द्वारा पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

02-सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मी-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल गौतम थाना बिजनौर लखनऊ

2- चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

3- उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

4- उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना बिजनौर लखनऊ

5- हे0का0 अरूण कुमार सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-15
दिनांक- 04.01.2026

जोन – दक्षिणी / थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 02 वाँछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद चाकू बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.01.2026 को वादी मुकदमा श्री सतीश सिंह पुत्र श्री योगेशराज सिंह निवासी- ग्राम व पोस्ट माती थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-002/2026 धारा 351(3)/109 भा0न्या0सं थाना कृष्णानगर लखनऊ, बनाम **1.** अज्ञात व्यक्ति, **बावत-** दिनांक 31.01.2025 को समय 12.30 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा S-S ग्रांडियर होटल कानपुर रोड कृष्णानगर लखनऊ में वादी मुकदमा के भतीजे उम्र करीब 20 वर्ष के साथ जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्तगण की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी, जिनके द्वारा लगभग 100 कैमरों की चेकिंग करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी कर आज दिनांक 04.01.2026 को मीट मंडी नियर क्रोमा स्टेर से गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त तुषार वर्मा द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि दिनांक 31.12.2025 को देर रात्रि होटल एसएस ग्रांडियर में न्यू ईयर की पार्टी में हुई लडाई झगडे के बाद अपने मित्र इन्द्रेश शर्मा को बुलाकर, योजनाबद्ध तरीके से इन्द्रेश शर्मा द्वारा विपक्षी/पीडित अभिषेक पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गये थे।

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 002/2026 धारा 351(3)/109 **बढोत्तरी धारा**-3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना कृष्णानगर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. इंद्रेश शर्मा उर्फ दीपक शर्मा पुत्र स्व0 बृजकिशोर शर्मा निवासी हाल पता- पंकज राय के मकान में किरायेदार आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ मूल पता- गांव निहस्ता थाना खीरो जनपद रायबरेली उम्र 26 वर्ष।

2. तुषार वर्मा पुत्र मनीष वर्मा निवासी 59 ए ईडब्लूएस बर्रा 07 थाना बर्रा कानपुर नगर उम्र 23 वर्ष।

052-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ

.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 04.01.2026

मिशन शक्ति 5.0

थाना माल पुलिस ने महिला सुरक्षा व साइबर जागरूकता पर आयोजित किया संवाद

थाना माल टीम ने "मिशन शक्ति 5.0" अभियान में ग्राम गुमसेना थाना माल में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, कानूनी अधिकारों, संबंधित सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मिशन शक्ति केन्द्र और पिंक बूथ की सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में सोमवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- महिला उप निरीक्षक खुशबू यादव, थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला मुख्य आरक्षी अनुराधा सिंह, थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ग्राम गुमसेना थाना माल लखनऊ

आयोजक टीम-

- ✓ महिला उप निरीक्षक खुशबू यादव, थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ महिला मुख्य आरक्षी अनुराधा सिंह, थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ आरक्षी आशीष, थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ थाना माल पुलिस टीम द्वारा ग्राम गुमसेना थाना माल पर मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

लखनऊ पुलिस की थाना माल टीम ने महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी गंभीर प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दिनांक 04.01.2026 को ग्राम गुमसेना थाना माल में एक विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजित इस पुलिस-जन संवाद में थाना माल की पुलिस टीम ने छात्राओं एवं महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान से जोड़ते हुए उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों – जैसे 112 (आपातकालीन), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (महिला सहायता), और 1930 (साइबर क्राइम) – की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी जैसी पहलों के साथ-साथ यूपी-कॉप एप और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम सहित महिलाओं से जुड़े कानूनों तथा संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस के एक सुरक्षित, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण के सतत प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ।

महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

महिलाओं को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया:

1. कानूनी अधिकारों की जानकारी: दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम

2. महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:- 112 - आपातकालीन सेवा, 1090 - महिला पावर लाइन, 181 - महिला हेल्पलाइन, 1076 - महिला सहायता, 1930 - साइबर क्राइम हेल्पलाइन

3. साइबर सुरक्षा उपाय:- सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करना, संदिग्ध लिंक और ई-मेल से सावधानी, ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान, साइबर हेल्पलाइन 1930 का उपयोग,

4. सरकारी योजनाएं व सेवाएं:- मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका, पिंक बूथ व महिला हेल्प डेस्क सुविधाएं, यूपी-कॉप एप्लिकेशन का उपयोग, महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाएं

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

उद्देश्य एवं महत्व-

थाना माल पुलिस टीम ने "मिशन शक्ति 5.0" के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पुलिस-जन संवाद कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों, तथा सरकारी योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना था। साथ ही, मिशन शक्ति केन्द्र और पिंक बूथ जैसी विशेष सुविधाओं से अवगत कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा। यह पहल न केवल "सुरक्षित नारी, सशक्त समाज" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुई, बल्कि इससे समुदाय के साथ पुलिस के संबंधों को मजबूती मिली तथा महिला सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का विकास हुआ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

“मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास”

थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर इटौंजा में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर किया जागरुक।

दिनांक- 04.01.2026

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में शुक्रवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ महिला उपरीक्षक सुमन सैनी, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ उप निरीक्षक आजाद अंसारी, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ महिला आरक्षी पूजा शर्मा, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना इटौंजा क्षेत्र, लखनऊ के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर इटौंजा में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला उपरीक्षक सुमन सैनी, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- उप निरीक्षक आजाद अंसारी, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी पूजा शर्मा, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- आरक्षी दुर्गापाल, थाना इटौंजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना इटौंजा क्षेत्र, लखनऊ के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर इटौंजा में करीब 20-25 महिलाओ को जागरूकता किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

आज दिनांक 04.01.2026 को मिशन शक्ति के तहत ग्राम कल्याणपुर इटौंजा में महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (मातृ वंदना योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जननी सुरक्षा योजना, उत्तर प्रदेश राहवीर योजना गोल्डन आवर आदि) और सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 112,1090,108,1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन), UP-COP मोबाइल एप का उपयोग के साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

- महिलाओं को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया।
- "गुड टच" और "बैड टच" के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
- साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
- बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई।
- उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-16
दिनांक: 04.01.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका हिण्डोला

फरार/इनामिया/लुटेरा अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

- **विगत 1 वर्ष से फरार/ 25 हजार रूपये का इनामिया लुटेरा अभियुक्त कुनाल सिंह गिरफ्तार।**
- **मामला मु0अ0स0- 09/25 धारा 140(3)/310(2) बीएनएस से संबंधित।**
- **चारबाग रोड से गिरफ्तारी, अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी।**
- **लखनऊ पुलिस अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर प्रतिबद्ध।**
- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस को बड़ी सफलता।**

कार्यवाही-

दिनांक 03.01.2026 को थाना नाका हिण्डोला पर पंजीकृत मु0अ0स0- 09/25 धारा 140(3)/310(2) बीएनएस से संबंधित विगत लगभग एक वर्ष से फरार चल रहे वांछित/इनामिया अभियुक्त **कुनाल सिंह पुत्र कृष्णा प्रताप सिंह उर्फ लाखन सिंह**, निवासी वमरौली घाट, थाना देवराहट, जनपद कानपुर देहात, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था, को थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर **जीआरपी कट, चारबाग रोड** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **18.01.2025** को वादी मुकदमा **रोहित पुत्र राजेश प्रसाद**, निवासी– ग्राम रावतपुर, पोस्ट जोनिहाँ, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि **अज्ञात अभियुक्तगण** द्वारा वाहन संख्या **UP 32 PH 5654** में जबरन बैठाकर उनका मोबाइल फोन, कैमरा, पर्स व नगद धनराशि लूट ली गई।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नाका हिण्डोला पर **मु0अ0सं0– 09/25 धारा 140(3)/309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान कुल **08 अभियुक्त प्रकाश में आए**, जिनमें से **07 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर माल बरामदगी सहित जेल भेजा जा चुका था**, जबकि शेष अभियुक्त **कुनाल सिंह** काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

03-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा **रूपये कमाने की लालच एवं नशे की आदत** के कारण अपने साथियों के साथ मिलकर आमजन को सवारी के रूप में अथवा जबरन वाहन में बैठाकर उनके सामान/रूपये लूट लिए जाते थे तथा पीड़ित व्यक्ति को **सुनसान स्थान पर छोड़ दिया जाता था।**

04. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम – कुनाल सिंह पुत्र कृष्णा प्रताप सिंह उर्फ लाखन सिंह

स्थायी पता – वमरौली घाट, थाना देवराहट, जनपद कानपुर देहात

वर्तमान पता – ग्राम कछगांव, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

05-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0– 09/25 धारा 140(3)/310(2) बीएनएस

थाना नाका हिण्डोला, कमिश्नरेट लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. **श्री श्रीकान्त राय** – प्रभारी निरीक्षक, थाना नाका हिण्डोला
2. **श्री बैजनाथ सिंह** – निरीक्षक, थाना नाका हिण्डोला
3. **श्री अवधेश कुमार यादव** – वरिष्ठ उपनिरीक्षक, थाना नाका हिण्डोला
4. **श्री उपेन्द्र सिंह** – उपनिरीक्षक, थाना नाका हिण्डोला
5. **श्री कुलदीप सिंह** – उपनिरीक्षक, थाना नाका हिण्डोला